Special Session Case 985/2024
CNR No.UPEW010057402024

UPEW010057402024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(आ.व.अधि.)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 4, इटावा।

पीठासीन अधिकारी– (Sri Ankur Sharma), (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(J.O. Code–UP1632)

विशेष वाद सं०–985/2024

उत्तर प्रदेश राज्य

.........अभियोजन।

बनाम

शेख मोहम्मद सलीम पुत्र हलीम, निवासी पचराहा कसाब, थाना कोतवाली, जिला इटावा।

..........अभियुक्त।

मु०अ०सं०–665/2021
धारा–138(1)(बी)विद्युत अधिनियम।
थाना–ए.पी.टी., जनपद इटावा।

निर्णय

1. थाना ए.पी.टी. द्वारा अभियुक्त शेख मोहम्मद सलीम के विरूद्ध विचारण हेतु मु०अ०सं०–665/2021 अन्तर्गत धारा 138(1)(बी)विद्युत अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 24.06.2021 को समय 11.30 बजे उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु औचक निरीक्षण पर वादी मुकदमा हरिवंश नारायन मय विद्युतकर्मीगण द्वारा पचराहा कसाव खाना थाना कोतवाली इटावा में चैकिंग करने पर शेख मोहम्मद सलीम के विद्युत संयोजन संख्या 4605256000 पर पूर्व में 51,798/–रुपये धनराशि विद्युत बिल बकाया होने के कारण विच्छेदित संयोजन को बिना विद्युत बिल जमा किये अपने परिसर के पास लगी एल.टी. लाइन से सीधे कटिया केबिल डालकर अपने घरेलू परिसर पर विद्युत का अवैध रूप से उपभोग

Digitally signed by ANKUR SHARMA
Date: 2026.08.13 16:10:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

करते पाया गया।

3. लिखित तहरीर के आधार पर थाना ए.पी.टी. जनपद इटावा पर अभियुक्त शेख मोहम्मद सलीम के विरूद्ध मु०अ०सं०-665/2021, अन्तर्गत धारा-138(1)(बी) विद्युत अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया।

4. न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिये जाने के उपरान्त अभियुक्त को आहूत किया गया।

5. अभियुक्त शेख मोहम्मद सलीम के न्यायालय में उपस्थित आने पर दिनांक 16.10.2025 को उसके विरूद्ध धारा-138(1)(बी) विद्युत अधिनियम का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया और विचारण की माँग की।

6. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षी को प्रस्तुत किये गये है -

अभियोजन साक्षी संख्या	**साक्षी का नाम**	**विवरण**
पी०डब्लू० 1	हरवंश नारायण	वादी मुकदमा

7. अभियोजन पक्ष ने अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये है -

प्रदर्श नम्बर	**प्रदर्श का विवरण**	**सिद्व/ प्रमाणित द्वारा**
प्रदर्श क-1	तहरीर	पी०डब्लू-1
प्रदर्श क-2	जाँच आख्या	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क-3	आरोप पत्र	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।
प्रदर्श क-4	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।
प्रदर्श क-5	जी०डी०	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की

		औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।
प्रदर्श क–6	नक्शा नजरी	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।

8. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०संहिता लेखबद्ध किया गया, जिसमें उसने अभियोजन कथानक व साक्षी के बयान गलत तथा मुकदमा गलत एवं झूठा चलाने का कथन करते हुए सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

9. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) द्वारा तर्क किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सिद्ध होता है कि दिनांक 24.06.2021 को समय 11.30 बजे वादी मुकदमा व अन्य कर्मियों द्वारा चैकिंग करने पर अभियुक्त शेख मोहम्मद सलीम बिना विद्युत बिल जमा किये अपने परिसर के पास लगी एल.टी. लाइन से सीधे कटिया केबिल डालकर अपने घरेलू परिसर पर विद्युत का अवैध रूप से उपभोग करते पाया गया।

11. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्क का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि विद्युत विभाग द्वारा नियमानुसार विद्युत अधिनियम में उपबन्धित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा विद्युत का अवैध प्रयोग नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त आरोपित आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

12. साक्षी पी.डब्लू.–1 अवर अभियन्ता हरवंश नारायण ने अपनी मुख्यपरीक्षा में साक्ष्य दिया हैं कि दिनांक 24.06.2021 को वह जे.ई. के पद पर काली वाहन उपकेन्द्र(विद्युत) पर तैनात था। उस दिन 11.30 बजे उच्च अधिकारी के निर्देश पर मोहल्ला पचराहा कस्बा व थाना कोतवाली इटावा को चैक करने पर अभियुक्त शेख मो० सलीम पुत्र मो० हलीम निवासी उपरोक्त के संयोजन

सं० 4605256000 मीटर सं० 57274630 पर 51,798/–रुपये विद्युत बिल बकाया होने पर पूर्व में संयोजन विच्छेदित किया गया था। पुनः चैक करने पर पाया गया कि अभियुक्त द्वारा धनराशि जमा न करके अपने परिसर में सीधे एल.टी. लाइन से कटिया डालकर विद्युत चोरी करता हुआ पाया गया। कागज दिखाने से कासिर रहा। अभियुक्त के विरुद्ध प्रार्थना पत्र थाना ए.पी.टी. थाना इकदिल को टाईप कराकर दिया गया। जिस पर उसके सभी गवाहानों के हस्ताक्षर हैं। जो पत्रावली में कागज सं० 5 क है। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। कागज सं० 9 क/1, 9 क/2 लगायत 9 क/3 जाँच आख्या व संयोजन विच्छेदन स्लिप है, जो उसके हस्ताक्षर व लेख में है जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। 10 क/1 सी.डी. मौके पर बनायी गयी थी जो संलग्नक पत्रावली है। विवेचक ने उसका बयान लिया था। अपनी प्रति–परीक्षा में साक्षी द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि अधिशाषी अभियन्ता के पत्रांक सं० 8284 दिनांकित 06.09.2025 के अनुसार राजस्व शुल्क 1502/–रुपये व शमन शुल्क 8,000/–रुपये जमा किया गया है। अब कोई धनराशि शेष नहीं है।

14. पत्रावली में अधिशाषी अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा निर्गत पत्र, पत्रांक सं० 8284/वि.न.वि.ख.इ.ग्रा./दिनांकित 06.09.2025 की छायाप्रति दाखिल है, जिसके अनुसार अभियुक्त द्वारा राजस्व निर्धारण की धनराशि 1502/–रुपये व शमन शुल्क 8000/–रुपये जमा करना विदित होता है।

15. निर्णयज विधि **सुरेश गनपति हलवंकर –प्रति– स्टेट आफ महाराष्ट्र क्रिमनल अपील नम्बर 156/2018 (Arsing out of SLP(Cri.) No. 3670/2017 निर्णीत दिनांकित 22.01.2018** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि धारा–138 विद्युत अधिनियम भी विद्युत चोरी से सम्बन्धित है तथा धारा–152 विद्युत अधिनियम की परिधि में आती है। जिस कारण धारा–138 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित अपराध को भी

शमन किया जा सकता है।

16. धारा–152(3) विद्युत अधिनियम यह प्रावधानित करती है कि– समुचित सरकार या इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी द्वारा उपधारा–(1) के अनुसार अपराध के शमन के लिए धनराशि स्वीकार करना, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–300 के अर्थ में दोषमुक्ति के समान समझा जायेगा।

17. अतः मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियों एवं उपरोक्त प्रावधान को दृष्टिगत अभियुक्त शेख मोहम्मद सलीम धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त शेख मोहम्मद सलीम को धारा–138(1)(बी)विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है, उसके व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूगण को जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त शेख मोहम्मद सलीम द्वारा धारा–481(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अनुपालन में 20,000/–रुपये का निजी बन्धपत्र व समराशि की एक प्रतिभू दाखिल करें।

दिनांक–13.08.2026 **(अंकुर शर्मा)**

विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–13.08.2026 **(अंकुर शर्मा)**

विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632

परिशिष्ट–अ

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दाण्डिक अपील संख्या (एस) 2973/2023 मनोजभाई जेठा भाई परमार (रोहित) बनाम गुजरात राज्य में पारित निर्णय दिनांकित 15.12.2025 में जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना।

परीक्षित गवाहों की सूची

अभियोजन गवाह संख्या	अभियोजन गवाह का नाम	विवरण
पी०डब्लू० 1	हरवंश नारायण	वादी मुकदमा

प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची

प्रदर्श नम्बर	प्रदर्श का विवरण	किसके द्वारा सत्यापित/ साबित किया
प्रदर्श क–1	तहरीर	पी०डब्लू–1
प्रदर्श क–2	जाँच आख्या	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क–3	आरोप पत्र	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।
प्रदर्श क–4	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।
प्रदर्श क–5	जी०डी०	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।
प्रदर्श क–6	नक्शा नजरी	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।

दिनांक–13.08.2026

(अंकुर शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (आ0 व0 अधि0)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632